The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007 (*Contd.*)

श्रीमती मीरा कुमार: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने जो विधेयक विचार के लिए रख रही हूं, यह हमारे आधुनिक समाज में जो उभरकर आई हुई नयी वास्तविकता है, उससे संबंधित है। इस नयी वास्तविकता के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं—एक पक्ष जो हमें आहलादित करता है, संतोष देता है और दूसरा पक्ष हमें उद्वेलित करता है, उद्विग्न करता है, चिंतित करता है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जो लोग दीर्घ आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, उनका मान और आदर किया जाता है। हमारे यहां परंपरा है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनके चरण-स्पर्श करके, उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह हम किसी विशेष अवसर पर करते हैं, ऐसा नहीं है, यह हम नित्यप्रति करते हैं। हमारे यहां इसे अपना सौभाग्य माना जाता है कि हमें अपने बड़ों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमारे बड़ों की आज्ञा हमें माननी है, यह संस्कार हमें जन्म से घुट्टी के रूप में पिलाया जाता है। यह संस्कृति और इस परंपरा को हमारे समाज ने सदियों से देखा है। आज स्थिति बदल गई है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में यह देखने में आ रहा है कि पिछले एक-दो दशकों से वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। हमारे देश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 7.6 करोड़ है, जो कि हमारी जनसंख्या का 6.9 प्रतिशत है।

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर के 17.3 करोड़ हो जाएगी, जो कि उस समय की जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत होगी। हमारे जो वृद्धजन हैं, उसमें से अधिकांशत: ग्रामीण अंचलों में, देहातों में रहते हैं। तीस प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, इनमें अधिकांश वृद्ध-वृद्ध हैं अर्थात् 90 वर्ष से अधिक आयु के हैं। एक रोचक और विचित्र बात यह भी देखने में आई है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में वृद्ध महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश में 2016 तक इनकी संख्या 51 प्रतिशत हो जाएगी। जिस तरह से आयुर्विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में जो प्रगति हुई है, हमारी जीवन शैली का स्तर जिस तरह से ऊपर उठा है, उसके कारण भारत के वासियों की उम्र लंबी हुई है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, यह एक सुखद विषय है, लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है और उस दुखद पहलू के कारण ही यह आवश्यकता पड़ी है कि इस विधेयक को लाया जाए। हमारे वृद्धजनों की, वरिष्ठ नागरिकों की, बहुत आदर, सम्मान के साथ, उनके परिवार के अंदर ही, आज तक देखभाल होती रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां संयुक्त परिवार रहे हैं और उनमें जो प्रमुख स्थान था, वह हमेशा परिवार के वृद्ध जनों का था, लेकिन नए युग की तेज रफ्तार में संयुक्त परिवार बहुत पीछे छूट गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं और छोटे शहरों को, कस्बों को या कुछ गांवों को छोड़कर के यह सब जगह विलुप्त होते जा रहे हैं, इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब संयुक्त परिवार नहीं रहेंगे तो हमारे जो माता-पिता और वृद्धजन हैं, वह कहां रहेंगे। स्वाभाविक है कि वह हाशिए पर आ गए हैं, उपेक्षित हो गए हैं, तिरस्कृत हो गए हैं, बहुत जगह तो उन्हें घरों से निकाल दिया जाता है, घरों में रखा भी जाता है तो उनके लिए किसी के पास समय नहीं होता वह अपने को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। इस उम्र में स्वास्थ्य गिर जाता है, आर्थिक रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ने लगती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती, समाज में कोई भूमिका तथा कोई मान्यता भी नहीं रहती और खाली समय को रचनात्मक कार्यों में किस प्रकार लगाया जाए, इसके कोई अवसर भी नहीं रहते। धीरे-धीरे वह अपनी पहचान खोने लगते हैं, आज के इस आधुनिक समाज में हमारे बुजुर्गों की यह दुर्दशा हो रही है। इसी कारण से, समय-समय पर संसद में माननीय सांसदों ने चिंता व्यक्त की। हमें भी लगा कि उनकी इस चिंता का, वृद्धजनों के प्रति हो रहे इस व्यवहार का, किस प्रकार से समाधान किया जाए, इसलिए हमने यह विधेयक लाने का निर्णय किया। विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले बहुत व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। जितनी भी राज्य

सरकारें हैं, उनसे विचार-विमर्श किया गया। जितने स्वयंसेवी संगठन हैं, उनसे विचार-विमर्श किया गया। जो भी विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के और जितनी भी संस्थाएं हैं, जिनमें स्वयं वरिष्ठ नागरिक पदाधिकारी और सदस्य हैं, उनसे विचार-विमर्श किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर, सभा करके, जन-साधारण की राय भी ली गई और उस सबको सम्मिलित करके यह विधेयक तैयार किया गया। इस वर्ष 20 मार्च को इसे मैंने लोक सभा में रखा। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी ने फिर इसे स्थायी समिति को भेज दिया। स्थायी समिति ने 7 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट, अपनी अनुशंसा भेजी। उस अनुशंसा को, जिसमें अधिकांश बहुमूल्य सुझाव थे, हमने पुनः इसमें संशोधन करके सम्मिलित किया। कल लोक सभा में यह विधेयक पारित हुआ, आज यहां पर है और मेरा विनम्र निवेदन है सभी सम्मानीय सदस्यों से कि कृपया इस पर अपने बहुमूल्य सुझाव दें, धन्यवाद।

The question was proposed.

डा॰ ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान): मान्यवर, आपकी अनुकम्पा के लिए मैं अनुगृहीत हूं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 की प्रस्तावना माननीय मंत्री महोदया ने बहुत सुन्दर रूप से रखी है। मान्यवर, आश्चर्य यह है कि जिस देव-भूमि भारत में माता और पिता को देवतुल्य माना जाता था, उसमें एक ऐसे विधेयक के लाने की आवश्यकता पड़ी, जिसमें यह बतलाने की जरूरत हो कि बच्चों को अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। यह एक भारतीय संस्कृति का, परंपरा का अंग था और हम हमेशा कहते थे — "त्वमेव माता च पिता त्वमेव"। हम ईश्वर को जब संबोधित करते, तो उसको गौरवान्वित करने के लिए भी इस पुण्य भूमि में कहा जाता था — "तुम्हीं माता और तुम्हीं पिता हो।" ईश्वर को भी श्रेय तब मिलता था, जब वह माता और पिता का रूप धारण करते थे। बुजुर्गों के लिए ऐसा सम्मान, बुजुर्गों के लिए ऐसा आदर, माता-पिता के लिए ऐसी गहन श्रद्धा, विश्व के किसी और राष्ट्र में नहीं मिल सकती। उस देश में ऐसा विधेयक लाने की आवश्यकता पड़े यह घोर विडम्बना है और यह घोर पतन का द्योतक भी है। हमारी संस्कृति का उद्घोष था - मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। हर घर में, हर गृहस्थी में, हर कुटुम्ब में दो देवता हर वक्त रहते थे - एक माता और दूसरा पिता। न मंदिर में जाने की जरूरत थी, न मस्जिद में जाने की जरूरत थी, न गुरुद्वारे में जाने की जरूरत थी और न चर्च में जाने की जरूरत थी - घर में ही ईश्वर का निवास माता और पिता के रूप में था। जो मूर्तिमान धर्म के विग्रह थे - भगवान राम - उनके बारे में रामायण में यह लिखा हुआ है कि "प्रातःकाल उठहिं रघुनाथा, मात-पितु गुरु नावहि माथा।" यह नित्य कर्म था। यह एक रिचुअल था, यह एक प्रथा थी — किसी स्वार्थ के लिए नहीं, आत्मा के मोक्षार्थ के लिए कि सुबह उठकर सबसे पहले माता-पिता और गुरु की चरण वंदना की जाए। इसीलिए कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से गरीय है, स्वर्ग से उच्चतर है, स्वर्ग से श्रेष्ठतर है, स्वर्ग से भारी है - ऐसा ओहदा जननी का था। इसीलिए हमारा एक आदर्श था, जननी सम जानहि पर नारी, धनप्राव विषतें विष भारी। यह हमारी संस्कृति का उच्च शिखर था और इसीलिए कहते थे, "मातृवत् परदारेशु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्" कोई भी महिला हो, उसमें मात् का स्वरूप देखते थे। जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपकी दृष्टि महिला वर्ग के प्रति क्या है तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक महिला का मुख भी नहीं देखा मेरी दृष्टि तो उनके चरणों पर ही रहती है क्योंकि मैं तो मां के स्वरूप के अलावा महिला में कोई दूसरा स्वरूप देख ही नहीं सकता। यह एक चिरंतन शास्त्र और संस्कृति की धारा चली आयी है। उस देश में हमें यह कहना पड़े कि वृद्धजन हिताय, वृद्धजन सुखाय - इसके लिए कोई विधेयक लाएं, कानून लाएं और बच्चों को फोर्स करें कि वे अपने माता-पिता का ध्यान रखें। मुझे ध्यान आता है, एक जगह कहा हुआ है।

हर उस शेख-ए-गुंदुंम को जला दो,
जिससे न मयस्सर हो वृद्धजन को रोटी।

उसमें तो यह लिखा था, ''जिससे न मयस्सर हो किसान को रोटी।'' लेकिन उस गेहूं की बाली का फायदा क्या है? उसको जला दो जिससे बुजुर्गों को रोटी तक नसीब न हो। मान्यवर, हमारे देश में भीष्म एक प्रतीक हुआ है - पितृ भक्ति और वृद्धजन के प्रति आदर का। भीष्म का चरित्र सबको ज्ञान है जिसने शांतनु की निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करने के लिए देवव्रत ने एक भीष्म प्रतीज्ञा की कि मैं हमेशा अविवाहित रहूंगा और चक्रवर्ती राज छोडूंगा। यह एक पुत्र का अनुपम उदाहरण था। भगवान राम से सौतेली माता कैकेयी के कहने पर राजपाट छोड़ दिया। तजि राज चले बटेऊ की नाई। जैसे मेहमान घर छोड़कर चला जाता है और कोई मोह नहीं करता, उसी तरह भगवान राम ने माता की आज्ञा का पालन करने के लिए चक्रवर्ती राज छोड़ दिया। परशुराम ने पितृ भक्ति जगदम्बी के कहने से अपनी माता का गला काटा और फिर प्रार्थना करके पुनर्जीवित किया। यह भी एक उदाहरण है। इसी प्रकार श्रवण कुमार की मातृ-पितृ भक्ति तो विश्वविख्यात है, ऐसा उदाहरण तो विश्व के किसी साहित्य में, किसी इतिहास में, किसी आख्यान में नहीं मिलता कि श्रवण कुमार वृद्ध माता-पिता को एक डोली में लेकर के तीर्थ यात्रा को चला और वहां रास्ते में श्रवण कुमार का अकस्मात् देवसंयोग से देहांत हो गया। जब श्रवण कुमार रास्ते में एक नदी से कुंभ में जल भर रहा था तो राजा दशरथ की एक गलती के कारण, क्योंकि उन्होंने भ्रम में समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है, अपना तीर चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार के मरण पर उसके माता-पिता ने अपना जीवन त्याग दिया। यह एक सूत्र था, इसलिए पुत्र को आत्मज कहते थे और बेटी को आत्मजा कहते थे, एक आत्मा का स्वरूप है पुत्र और आत्मा का स्वरूप है बेटी और उस बेटे बेटी को इस राज्य सभा द्वारा लोक सभा द्वारा कहना पड़े कि बुजुर्गों का ध्यान करो, जो वास्तव में एक पतन की पराकाष्ठा हो गई। हमारा आदर्श तो था ही माता-पिता के अलावा हर वृद्ध का आदर। वृद्धजन स्वागत के योग्य था, आदर के योग्य था, सत्कार के योग्य था, वह आज तिरस्कार के योग्य हो गया और जन्म घुट्टी में जो माननीया मंत्री महोदया ने कहा है जो शिक्षा मिलती थी, आज वह शिक्षा बिल्कुल उल्टी हो गई। बड़ा आश्चर्य है कि संयुक्त परिवार टूट गया, खंड-खंड हो गया, संयुक्त परिवार जो सुखी परिवार था वह विभक्त परिवार हो गया और विभक्त परिवार में एक बूढ़े को कोई पूछने वाला नहीं रहा। वृद्ध तो सभी होंगे, आज जो जवान है वे कल को वृद्ध होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यह बुढ़ापा तो सब को आएगा और बुढ़ापा ऐसा है, जो आने के बाद जाएगा नहीं उस राष्ट्र का क्या होगा जहां वृद्धजनों की देखभाल नहीं होती हो और आंकड़े बड़े भयावह हैं, जो यहां अभी बतलाए गए। मैं उनको पुन: इसलिए दोहराना चाहूंगा कि परिस्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है। 2001 में 6 करोड़ वृद्धजन थे 6.9 percent of the total population और आकलन है 2026 में यह 6 करोड़ से 17 करोड़ हो जाएंगे, 12.4 percent of the population, इनकी देखभाल नहीं करनी है तो सरकार इंतजाम करे जहर के इंजेक्शन देने का। इनकों फिर जिंदा रहने का हक नहीं है और जिंदा टुकड़ों पर रहें जो सरकार दया करके दिलवाए, तो जिंदा रहना क्या है, उससे तो अच्छा है कि वृद्धजन आत्म हत्या कर लें, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो। वृद्धजनों में सबसे बुरी हालत वृद्ध महिलाओं की है और वृद्ध महिलाओं में सबसे बुरी हालत है वैधव्य भोगती वृद्ध महिलाओं की और उनमें भी जो गांवों में हैं। गांवों की तो वैसे ही दुदर्शा है। Great divide between 'India' and 'Bharat'. शहर और गांव में अब भी बड़ा डिवाइड है और यह डिवाइड वृद्धजनों को बहुत बुरी तरह से तकलीफ देता है। न [illegible]की देखभाल का इंतजाम है, न उनकी मेडिकल केयर का इंतजाम है। इस बारे में मुझे एक किस्सा याद आया, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज़ करूं। एक सम्मिलित परिवार के मकान के दालान में एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था, जिसने बीसियों साल तक बड़े मीठे आम दिए। जब बाद में वह पेड़ बूढ़ा हो गया जिस पर न फूल आते थे और न आम की मंजरियां ही आती थी। तो बेटे इकट्ठे हुए, पोते इकट्ठे हुए और विचार किया कि अब इस बूढ़े आम के पेड़ का क्या फायदा है। उनका दादा वहीं बैठा हुआ था। दादा ने सुना कि उसके बेटे और पोतों ने तय किया है कि आम के इस चालीस साल के बूढ़े दरख्त को काट दें। उसने खांसते-खांसते उनको अपने पास बुलाया और कहा कि मैं समझता हूं कि यह आम को पेड़ अब सुवासित फूल नहीं देता है, यह अब चूसने के लिए मीठे आम भी नहीं देता है, लेकिन छाया तो देता है, इस कारण बूढ़े दरख्त को बने तो रहने दो। हर वृद्ध छाया तो देता है।

उसका ऐसा अपमान, उसका ऐसा तिरस्कार और वह भी भारत में हो, यह बड़ी शोचनीय बात है। देर आयद दुरुस्त आयद, अच्छा हुआ। उसके लिए रोटी, के टुकड़े का, कपड़े का, सिर ढकने के लिए झोंपड़ी का कुछ इंतजाम किया है।

उसके लिए वह प्रार्थना करे, उसके लिए वह आवेदन करे, उसके लिए वह एक पेटिशन दे, तब उसकी सुनवाई होगी। यह कैसा जीवन होगा, क्या होगा और यह क्या भारत रहेगा, इस पर विवेचन करने की, विचार करने की, सोचने की आवश्यकता है। वृद्धजनों की इस राज्य सभा द्वारा, वह राज्य सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हों और वह विद्वत सभा नहीं, जिसमें विद्वतजन न हो। यहां बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवान भी बैठे हैं, जो बुजुर्गों जैसा अक्ल रखते हैं। मुझे आशा है कि वे इस पर और सोचेंगे और यह जो विधेयक है, इसको ज्यादा उपयोगी बनाएंगे। इस विधयेक के बारे में स्थाई समिति ने जो अनुशंसा की है, उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं, जो इसमें पूरी नहीं आई हैं, लेकिन समय अभाव से मैं उनको यहां नहीं कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदया को उनका बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है, जो इसमें रखा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं। पैंशन के बारे में खासतौर से विवेचन किया गया है कि वृद्धजनों की पैंशन सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें विशेषरूप से यह निर्देश दिया गया है कि वृद्धजनों के लिए सबसे ज्यादा जरुरी मेडिकल केयर है। ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता जाता है, त्यों-त्यों शरीर क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों शरीर पर अलग-अलग बीमारियों के हमले होते हैं और उसके साथ-साथ उसको मेडिकल देख-भाल की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसकी ग्रामों में सख्त कमी है। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि विद्वानजनों का इशारा ही काफी है। मैं आशा करता हूं कि यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वे इसके पक्ष में और पुरजोर अपने विचार जाहिर करेंगे। मान्यवर, मैं एक आहत व्यक्ति हूं, पीड़ित व्यक्ति हूं। मुझे वेदना खाने-पीने की और सिर पर छप्पर की नहीं है, लेकिन संस्कृति के विघटन की है। जो हमारी आर्ष प्रवृत्ति चली आ रही थी और जो परम्परा चली आ रही थी उसके विछेदन की, वह मुझे पीड़ा देती है। आपने मुझे इतनी देर बोलने का समय दिया, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, अपने मन के फफोले इस राज्य सभा के माननीय सदस्यों को दिखाने के लिए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I thank you for having given me this opportuity, Like many other welfare schemes introduced by the UPA Government to protect the assaults on women and children, this is one more feather in the cap of the UPA, and, I welcome this step. If our parents and senior citizens are not taken care of by their children, then, who will take care of them? The children cannot have a place on this earth because it is a sin. Normally, it is the duty and obligation of the children to take care of their parents. It is really unfortunate that this country has to enact a law to put a statutory duty on the sons to protect their parents and also the senior citizens. It is an irony. Sir, as the Minister in her introductory remarks said, the joint family system is collapsing in this country. In the advancement of educational pursuit, many children after college studies are going to foreign countries and many a time they settle down there. The parents and the senior citizens. whom should be protected, are uncared and unattended. Therefore, whether in India, or, in foreign country, the obligation to protect and safeguard the elders is now statutorily protected. In Tamil Nadu, there is a say. When a son went to a *rishi* and said that he wants this power and other things, then, *rishi* said, "Go and behead your mother's head and bring it; I will give you". The son went and cut mother's head. He was rushing back to the *rishi* with the head in his hands. On the way, he slipped. Only head was there; the mother asked: "My dear son, are you injured?" So, that is the sentiment of the mother; that is the sentiment of the father; that is the sentiment of the elders, and that is the sentiment of the parents. Therefore, when that attitude is there, in the changing scenario in India, due to economic conditions and other factors, most of the time, elders are languishing in the old-age homes. They do not have money to purchase medicines. If they go to hospitals, they have to stand in the long queue. If they go to railway station, there is not provision for them. They have to stand in the queue. They can't match the physical strength of the youth to get into the compartment, and all these things are there.

Sir, without going into the general aspects, I would like to say that this Bill is to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents, and senior citizens,

guaranteed and recognised in the Constitution, Article 39 (1) and article 47 of the Directive Principles of State Policy mandate the Government to see that adequate means of livelihood are provided to the citizens and 'the citizens' includes the old parents. In order to enforce the Directive Principles of State Policy, this Bill has been brought forward. I congratulate the hon. Minister for the same.

Sir, when I went through certain provisions and clauses of the Bill, one thing for which I wish to congratualte the drafters of the Bill is that the earning capacity has been made a criterion, Because, a person may have property but he, or, she may not have an income from that property. This provision is there in the Insolvency Act also. An insolvent is considered to be a person depending on how much acre he possesses, and what is the income he derives from the propety. That is the reason why in clause 4 (1) they say, "...maintain himself from his own earning, or, out of the property owned by him...". Therefore, the Bill recognises, even if the property is there, but there is no income, then, he is bound to be maintained. So, that is one of the best draftings of the clauses; I congratulate the hon. Minister for the same. The relative of a senior citizen is also bound to maintain. While a senior citizen is defined as person above 60 years of age, it is good that is the definition clause parents, father, or, mother are defined irrespective of the age. That is one of the welcome steps which the Bill provides. Sir, normally, either in the disposal of cases in the courts, or in passing orders even by the Supreme Court and the High Court, it takes months together. I really, congratualte the drafters again because the case has to be disposed of within 90 days from the date of service of notice; that is a welcome step. Not only that, with the maintenance orders, within 30 days, amount has to be deposited. Drafters are conscious of the fact that it should not take more time and, therefore, the outer limit has been prescribed — in the case of disposal of a case, it is 90 days, in the case of deposit of money, it is 30 days, Sir, earlier, it was discretionary, but now it has been mandate for every State Government to make Tribunals within a period of six months from the date of commencement of this Act. That is another welcome step. Sir, with regard to the Appellate Tribunal and also the Tribunal, there are two apprehensions that I have. One is, with regard to the powers conferred on the Sub-Divisional Magistrate at the lower level and the other is with regard to the power of appeal conferred on the Officer, not less than the rank of a District Magistrate, namely, Collector. Sir, the Revenue officials already have several other duties to perform. They not only have a lot of revenue works, but also if the Minister visits or some Government functionary visits or there are some Government functions, they cannot be seen at the office at all. If such is the condition, I put some questions to myself. If a senior citizen goes to the Collector's office, the Collector won't be there because he will be busy on other duty. I want to know whether the senior citizen who goes for an enquiry again must come there, wait and then attend the hearing. This problem may arise if the powers are conferred on the revenue authorities. I request the Minister to kindly consider whether this power can be conferred on any other authority, not necessarily courts, because courts also take their time; however, in courts there is a fixed time. The courts sit at 10.30, and if the hearing is fixed with an outer limit, definitely a person can go to the court at a particular time. They can notify somebody. They can wait and then this case can be disposed of, provided an outer limit is prescribed. But if it is a revenue official, as I said, with all administrative powers, then there will be problem. Why I am saying this is because we have seen so many Acts conferring power on them. The Board of Revenue has been abolished. This power has been conferred on the commissioners in Tamil Nadu and there are corresponding provisions in other States. These officials — we can't blame them — have several duties to perform. Sir, particularly, when we say that a senior citizen should be taken

care of and protected — and there is a provision in this Bill that they should be given a special attention in queues, hospital facilities, beds, etc., — is it fair on our part to ask the senior citizens to wait in the Collectorate or the SDO Office for months together or weeks together? Definitely, they cannot pass the order within a particular period. So, Sir, through you, I want to bring this problem to the notice of the hon. Minister.

Similarly, while disposing of the application within ninety days and depositing the maintenance within thirty days, in Clause 16 for filing an appeal, they have prescribed sixty days and in the proviso, it is said, 'conferring power on the appellate authority, if there is a sufficient cause shown, the appeal can be entertained. Here comes the problem. Once you allow this, there will be problem of filing an appeal after one year, of course, with a petition to condone the delay, unlike the Rent Control Act, because Section 5 of the Limitation Act will apply if you fail to restict the period of appeal. You say, sixty days, and condonation of the appeal can be made, provided for another thirty days. Sir, there are judgements which say that the Act itself prescribes the condonation period — appeal time is sixty days, condonation period thirty days, outer Limit ninety days--then more than thirty days, no authority can have power to condone. Therefore, if that is suitably modified, if the proviso of Clause 16 is suitably modified to say that 'provided the appellate authority can condone the delay in filing the appeal within thirty days,' then that is sufficient. I think, that suggestion can also be taken into consideration, leaving the discretion to the appellate authority, to take the appeal on file, and giving him power to condone may lead to further delay. Sir, this is my suggestion.

Sir, providing these old-age homes is one of the welcome steps. I congratulate the Minister for that. The State Governments must be asked to immediately start these old-age homes in the districts immediately. That monitoring committee should be formed with elected representatives and other functionaries, just as we have vigilance committees at the district level with MPs as Chairmen. I am not blaming the NGOs; they are doing a wonderful job at many places and in many areas. But, at times, this fund could also be misused. Therefore, it would be better if there is a monitoring committee and some kind of a vigilance committee so that the money intended for the old and the parents reaches them.

Sir, one of the salient features of this Bill is Clause 23. Normally, a dispute arises in a family over property. The sons try to impress upon, or coerce, or even threaten, parents to give away the property which they possess and then he gets a settlement. Clause 23(1) is a very novel step where the obligation to provide maintenance to parents is attached with the property. Even if the parents gift the property in favour of the son or anybody else, the obligation shall run along with the property. That is a wonderful idea. The obligation is there if a person receives property by way of gift or settlement. If the fails to honour that commitment, fails to honour the obligation, fails to maintain the parents or senior citizens, then the gift will become null and void because it will really amount to fraud for getting that property. This is a very novel section and I really appreciate it.

Then, there is Clause 22(2) which provides that the State Government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of the life and property of senior citizens. Through Standing Committees and other such bodies, even though many letters are written to the State governments, most of them do not reply. Therefore, it would be better if the Minister calls for a meeting of all the concerned Ministers of the States and have a time-bound programme because caring for and attending to the senior citizens of the country is

the foremost duty of the State Governments and the Central Government. Therefore, unless we take the initiative, it would just be another law in the Statute Book, and without proper enforcement, it won't help the beneficiaries. Some push and involvement is required here. We have to associate and involve ourselves for the successful implementation of all the legislations passed in this august House. We bring in many laws and we try to protect every section of the society. We try to bring in many statutes to see to it that the beneficiaries are really benefited. But, unfortunately, because of various factors in this country, because of various impediments, court cases and several other things, the intended beneficiaries are not able to get the benefits and the law remains only on the Statute Book. This Act should also not meet the same fate. Therefore, I would humbly request the hon. Minister, through you. Sir, to see to it that it is implemented in letter and spirit so that these beneficiaries get the real benefits.

Sir, my friend, Shri Natchiappan, made a suggestion regarding administrative expenses. That also needs to be worked out. I am sorry to say that many State Governments receive various funds from the Centre but when it comes to spending them, they say have no money. That should not be the case. They say that the Parliament makes a law, the Parliament asks them to create tribunals, the Parliament asks them to pay money but, ultimately, when the question of spending comes, they say they have no money. Therefore, the administrative expenses must also be taken care of in this scheme of things.

Finally, this Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh and guided by our leader Soniaji, has brought various measures in the last three-and-a-half years. They always think about weaker sections, women and, now, the old people. Sir, this Government must also see to it that the efforts of Government make a difference in every nook and corner in this country. If that has to happen, not only the Ministers concerned but also all the Members of Parliament and State Legislatures, Chairmen of local bodies including Panchayats, must put their heads together to see to it that the benefits provided in these laws reach the people. Sir, there is a proverb which I learnt when I was in college which is 'Respect grey hair', especially yours'. Sir, this Bill is for respecting old, aged, parents and senior citizens, particularly 'yours'.

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यहां पर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 जो प्रस्तुत किया है, उसके प्रति मैं पूरा सम्मान प्रकट करता हूं और इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बिल लोक सभा से पारित हो गया है और आज इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह की भावना पूरे सदन की है, उससे लगता है कि यह बिल यहां से भी पारित हो जाएगा। लेकिन, सर, आज का दिन मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि एक ऐसे देश में, जिस देश की संस्कृति और सभ्यता की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान थी, आज हम अपने माता-पिता और वृद्धों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। कानून भी हम इसलिए बनाने जा रहे हैं कि हमारे जो माता-पिता हैं या इस देश के जो सीनियर सिटिज़ंस हैं, उनको रहने के लिए आवास मिल सके, उनको पहनने के लिए कपड़े मिल सकें तथा उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। जो वर्तमान सामाजिक माहौल है, जो वातावरण है, उसमें इस तरह का कानून बनाने के लिए आज दोनों सदन मजबूर हैं और भारत के लिए तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए आज का दिन मेरे हिसाब से काफी दुखद है।

उपसभाध्यक्ष जी, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, तब जैसा हमसे पहले हमारे आदरणीय वक्ता इस पर बोल रहे थे, तो उन्होंने याद दिलाने का काम किया कि हमारा संयुक्त परिवार था और उसमें हमारे माता-पिता रहते थे, हमारे वृद्ध लोग रहते थे। हमारे ऐसे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार थे कि हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। हमारे घर का काम तब शुरू होता था, जब सुबह होने के बाद अपने माता-पिता और जो हमारे वृद्ध थे,

उनको हम प्रणाम करते थे, हम उनके चरण स्पर्श करते थे। इस देश में जो राम का चरित्र था या जो श्रवण कुमार का चरित्र था, उसका भी इन्होंने उल्लेख करने का काम किया है। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम उन लोगों से दूर होते जो रहे हैं, जिनके बलिदान, त्याग और तपस्या के कारण हम आज यहां तक पहुंचे हैं जिन लोगों ने देश को मजबूत करने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए और हमें पढ़ाने-लिखाने के लिए, हमको एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए पूरा जीवन संघर्ष में, त्याग में, तपस्यां में भूखों रहकर तथा अनेक कठिनाइयां सहकर... और केवल इसलिए कि हम आगे बढ़ें, उन्होंने पूरे जीवनभर काम किया। महोदय, आज वैश्वीकरण के वर्तमान आधुनिक युग में जो जीवन शैली है, उस के कारण हम उन से इतने दूर होते गए हैं और आज उन की हिफाजत के लिए, उन की संपत्ति के रख-रखाव के लिए, उन के स्वास्थ्य के लिए संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पास कर कानून बनाने जा रहे हैं। महोदय, संयुक्त परिवार टूट रहा है और-आज परिवार छोटा होता जा रहा है, जीवन शैली बदल रही है। आज जीवन शैली का जो वर्तमान स्वरूप है, उस के हिसाब से जिंदगी तेज हो गयी है। और आज किसी व्यक्ति को फुरसत नहीं है कि वह सीनियर सिटीजन और अपने माता-पिता का ख्याल कर सके।

उपसभाध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी इस बिल को यहां प्रस्तुत कर रही थीं। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में 7.6 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन या वृद्ध हैं और आने वाले समय में, वर्ष 2026 में उन की आबादी 17.3 करोड़ हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में मैं यह जो कानून बनने जा रहा है, उसके प्रति मैं पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, आज वृद्ध व सीनियर सिटीजंस की जो यह समस्या है, मेरे ख्याल से यह गांवों में कम है और शहरों में ज्यादा है, महोदय, आज शहरीकरण से जो माहौल बना है, उस वजह से शहरों में यह समस्या ज्यादा है और गांवों में कम है। मैं मानता हूं कि गांवों में, पिछले 60 वर्षों में जो प्रगति हमें देनी चाहिए थी, वह हम नहीं दे सके हैं। आज भी वहां गरीबी है, लेकिन फिर भी गांवों में हमारी संस्कृति और सभ्यता बाकी है।

महोदय, इस विधेयक में प्रावधान है कि उन की संपत्ति की देखभाल होगी इस विधेयक में व्यवस्था है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को पुत्र या पुत्री नहीं है और कोई नातेदार है जोकि वसीयत के आधार पर वरिष्ठ नागरिक की चल-अचल संपत्ति पाने का हकदार है और जब वह उसे प्राप्त हो जाती है, तो प्राय: यह देखने में आता है कि संपत्ति मिलने के कुछ दिनों बाद वह नातेदार उसकी जिम्मेदारियों से, उस के दायित्व से हटने लगता है, लेकिन इस कानून के द्वारा उस नातेदार पर उन की देखरेख की बाध्यता होगी अन्यथा उस में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर वह उस संपत्ति को पाने का हकदार नहीं रहेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, Conclude it now.

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, इस कानून के तहत वृद्धावस्था होम्स बन रहे हैं, जोकि प्रत्येक जिले में एक होगा। हालांकि उनकी संख्या में विस्तार होगा, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से और उन के मंत्रालय से निवेदन है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और जैसाकि उन्होंने कहा इस देश में इस समय 7.6 करोड़ वृद्ध, सीनियर सिटीजन या इस तरह के लोग हैं। इसलिए आप जो वृद्धावस्था होम्स बना रहे हैं, उन में केवल 150 लोग रहेंगे तो फिर उन की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न समस्या का समाधान कैसे करेंगे? दूसरे, मेरा निवेदन यह है कि ये जो होम्स प्रत्येक जिले में बन रहे हैं, इन्हें आप किसी छोटे विद्यालय के आवास बनवाएं जिससे कि जो वृद्ध लोग उसमें रहेंगे, चूंकि बच्चों से उनका बड़ा प्यार रहता है इसलिए अगर आप स्कूलों के पास इन्हें बनवाएंगे, तो उनका दिन आसानी से कटेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: इस बिल के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Sen, Shri Ekanath K. Thakur has to go to attend a meeting. So he requested to speak. Let him speak for five minutes. Please take only five minutes.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Sir, I will take four minutes. Sir, I am obliged to you for this opportunity. Sir, I have to attend a committee meeting, and therefore, I requested for your special gesture.

3 P.M

,Sir, I join the House in congratulating the hon. Minister and the Government of India on bringing forth this Bill which will enable our fraternity, parents and others, to live well in their advanced age.

Sir, it is unfortunate, as my other colleagues have said, that we have to enact a law to bring to the notice of our young generation what should have been very obvious. I particularly feel very pained that a situation should come in this country called India, which has a great heritage, that we have to tell our younger generation to look after their parents.

I am not saying this because I am looking after my parents. Because I am an orphan and lost both my mother and father before the age of two. And right from age of seven onwards, I had been working as a shop boy for 9-10 years and then came up in life. If I had a mother and father I would have probably spoken on this very much because I know what mothers and fathers do for their children. I did not have that benefit, but I still believe in that.

In a progressive State like Maharashtra, I see great destitution all around and in cities like Mumbai and Pune, young men disowning their parents. There is a popular drama in my area where a young person introduces to his girlfriend his father as a servant because he does not look that good and is in advanced age. This is a real tragedy of our life and we have to accept the tragedy as it is. And that is why the Bard of Avon, Shakespeare, went on record to say that one of the greatest evils of this world is man's ingratitude to man.

Sir, the demographic profile is on a continuous change and by 2010 we may have more than 150 million people or 15 crore people beyond the age of 60 and longevity is ever increasing. Longevity in African countries is around 55-60. In the Asian countries, the life span is in the range of 60-65. In European countries, it is about 75. In Japan, today, people live the longest. And all over the world, women live, on an average, five years longer than men. Therefore, mothers are likely to live longer than fathers and therefore one has to have a provision for the old age. And just as in the Japanese society, the children and grand-children take care of their parents and grand-parents, we in our society must encourage our children and grand-children to take care of their parents and grand-parents.

This problem has come because of the western values and mainly because of the failure of our education system. Sir, in my opinion, education is a trinity. Education is a trinity of three H: it is the head, the heart and the hand. Our current education only influences the head, it does not influence the heart and the hand. With that, we do not have the generosity of a good heart, and we do not have the generosity of a good hand. Unless we reform the education system and really bring the qualities of 3H, along with head, the influences of the generosity of the heart and generosity of the hand, this kind of laws will have to come. I think, we have to create the situation by education where our children learn to respect their parents and consider it their bounden duty to look after them. Sir, I will finish within a minute. While we are castigating our young generation, we cannot paint the entire young generation with a black brush. More than 95 per cent of them take care of their parents and grand parents, and of the remaining 5 per cent who are ungrateful, the filial loyalty is not there, the filial gratitude is not there; of those 5 per cent who do not look after their parents, even there, the record of the daughters is better than the sons. Some psychologists and sociologists have to go into this phenomenon why sons of the remaining 5 per cent, who do not look after their parents, are more ungrateful than daughters. Therefore, I think, we have to have laws which favour daughters more than the sons. **(Time bell)** I am concluding, Sir. This law is good enough. But, the hon. Minister, Shrimati Meira Kumar, is here, and she has

a very wide social canvas. I will try to tell her that over a period of time, this law only will not be enough. You have to come forward with a law for those children, a penal law for those children, who make fortunes out of the misfortunes of their parents. Please think of this. Thank you so much.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Tarlochan Singh, I can allow you with the consent of others. There are others also. Take four to five minutes. On that condition, I am agreeing.

SHRI TARLOCHAN SINGH (Haryana): I will take less than that.

सर, Senior Citizens Bill पर आज बहस हो रही है। आम तौर पर यह देखा गया है कि हाऊस में जब कोरम होता है, तो हम senior citizen का ही कोरम होता है, जितने यंग हैं, सब बाहर चले जाते हैं। Senior Citizens Bill का कोई विरोध नहीं कर रहा।

सर, मैं समझता हूं, जैसा श्री नन्द किशोर यादव जी ने भी बोला है, सरकार को ऐसा बिल लाने की जरूरत नहीं थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह senior citizens का ख्याल रखे। यह एक welfare state है, सरकार को चाहिए था, कि वह यह देखती, हमारी मंत्री महोदया बहुत experienced हैं, Foreign Ministry में भी रही हैं, उनको यह चाहिए था कि वे यह देखतीं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनमें senior citizens को कैसी सुविधा है। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लीजिए। Communist countries में मैं बहुत बार गया हूं, वहां ऐसे लॉ हैं कि senior citizen के लिए सरकार responsible है, वहां senior citizens के लिए सब कुछ सरकार देती है। अब यह बिल पास करके हम एक नई दुविधा खड़ी कर देंगे, पहले ही सोसाइटी ब्रेक हो चुकी है। 60 साल में हमने यह achieve किया है कि आज इस बिल की जरूरत पड़ी! सर, यह वह देश है जहां पर parents के मरने के बाद भी हम उनका श्राद्ध कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि वे जहां भी हों, परमात्मा उनका भला करे। आज आप सारी दुनिया के सामने यह क्या मिसाल दे रहे हैं। दुनिया अभी भी कहती है कि इंडिया में आज भी पुरातन सब कुछ कायम है, आज उस पुरातन को खत्म करने का बिल यह सरकार लाई है कि हम parents का कोई ध्यान नहीं रखते और अब सरकार मजबूर करके हमसे उनका ध्यान करवाएगी। सर, इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा। आप reality में देखें कि इस बिल से कितने लोगों को सुविधा होगी, कौन से parents किस कोर्ट में जाएंगे, कौन SDM की कचहरी के बाहर जाकर खड़ा होगा और कहेगा कि मुझे आज काम दो।

ऐसा बिल चलने वाला नहीं है। भावना ठीक है कि हम senior citizens के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसी भावना है, तो सरकार खुद अपनी पालिसी लाए। इंग्लैंड में तो जब सर्दियां आती हैं, तो senior citizens को गरम कपड़े मिलते हैं, उनके लिए transport free है, medical free है, उनको allowance मिलता है, वह allowance घर भी आ जाता है, उनके चैक बने हुए हैं। यहां पर वहां जैसी कम से कम एक सुविधा तो दो। यह कह देना कि सरकार ने बिल बना दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैं समझता हूं कि इससे कोई भला नहीं होता, उलटे misuse होता है। इसमें एक ऐसा क्लाज़ है-organization, इसमें NGO's का नाम भी आ गया, कि वे भी आपके behalf पर जा सकते हैं। पहले भी आपने कई बिल बनाए हैं, अच्छी भावना से बनाए हैं, लेकिन उनका क्या हाल है, Dowry Act का कितना misuse हो रहा है, कितने और ऐसे बिल हैं, जो आज लोग देख रहे हैं कि यह बिल अच्छे काम के लिए बनाया गया था, लेकिन बुरे काम के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है।

अब यहां जो कमी है, वह एजुकेशन में है। हम अपने बच्चों को कंप्यूटर तो सिखला रहे हैं, हम science and technology को primary class में ला रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह नहीं सिखा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे, तो यही सिखाया जाता था कि बुजुर्गों की इज्ज़त कैसे करनी है, ऐसी-ऐसी कहानियां थी कि parents के प्रति बच्चों की क्या ड्यूटी है। आज किसी syllabus में वह चीज नहीं है। एजुकेशन को modernise करते-करते, देश की जो अच्छी बातें थी, वे हमने निकाल ही दी हैं, यह कहकर कि हम दुनिया के competition में जा रहे हैं। देश की जो परंपराएं हैं, उनको कायम रखने के लिए parents की इज्ज़त करनी पड़ेगी और यह चीज दुनिया में अब भी कहीं

है, तो भारत में है। यह जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से hardly one per cent लोग भी नहीं हैं, जो अपने parents को disown करते हों। शहरों में यह जरूर है कि husband and wife दोनों काम करते हैं, इसलिए उनको देख नहीं पाते। इसके लिए आप senior citizens के club बनाइए, उनके बैठने के लिए धर्मशाला बनाइए। जो बड़े लोग हैं, उनके सामने समस्या यह है कि उनका वक्त कैसे कटे। सरकार इसके लिए सुविधा लाए।

आपने कह दिया कि स्टेट्स इसके लिए काम करेंगी, अब funds कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए funds दे, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रही है? हमने अपना जजमेंट pass कर दिया स्टेट्स पर कि स्टेट इसके लिए कानून बनाए, स्टेट इसके लिए old age homes बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके कि हमने यह कानून बना दिया है। लोगों में वाह-वाह हो गई कि सरकार ने यह किया है, लेकिन reality में कुछ हुआ नहीं। आप आश्वासन दें कि हां, सरकार करेगी। मेरा अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की senior citizens के प्रति जो duty है, उसको वह पूरा करे। इस तरह से society के बहुत से sections हैं, widows बैठी हैं, उनकी शिकायतें हैं, सरकार इनका ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। बाकी इस बिल की जो भावना है, मैं भी उसके साथ हूं। धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I rise to support the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007. At the outset, I would definitely admit that the hon. Minister has taken a commendable stride in bringing this Bill before the Parliament. At the same time, she has taken up a very challenging, severe and difficult task because the issue relates to such a problem of the society. It is very difficult to address that problem only by this legal system. But still a compelling situation needs to be created, given the serious degeneration of the social values. I would like to bring to the notice of the House that this task is quite challenging and very difficult because it is a kind of venture to swim against the current of present day's philosophy of survival of the fittest being promoted by the market-driven economic policy paradigm. It has got a tremendous impact on the society and it has gone down to such an extent that one should achieve success, at any cost, no matter whatever the means, whether it is fair or foul. Even the parents are being provoked to teach their children in this manner to achieve, at any cost, success in eminent schools. When this is the general atmosphere, it is but natural that in the process of dismantling the joint family system and the development of nuclear system, we are creating a natural condition for our parents and senior citizens who are neglected by their children and who made their career by sacrificing their old-age benefits.

It is a very difficult task. I must say, it is a kind of big venture to flow against the current. I commend the hon. Minister's efforts for bringing this Bill because, in this situation, some compelling conditions need to be created in the society. That is why this Bill is very much relevant, at this point of time. I would just try to draw a simile with the labour related matter. If we only depend on the good wishes and good intentions of the children that they will take care of their old age parents, I think, in the present day system, it really becomes a difficult task. Similarly, sometimes, our people in the Government expect that the employers will themselves comply with the labour laws, so, depend on their good intentions and give them the advantage of self-certification. It is that kind of a thing. I particularly commend the hon. Minister because she did not depend on this kind of uptopian concept and has brought forward this Bill, at least, to create a compelling atmosphere, compelling situation by which if the Government acts, definitely, the intended benefit can be delivered, at least, to some extent.

I just would like to point out that only at two places there is a need for reconsideration. Firstly, after maintenance has been ordered, but that has not been implemented, there is a scope for making a complaint that that order is not being adhered to, therefore, recovery be

made. Here a debarrring provision has been made that after the issuance of the order, as I can understand from clause 5(8) of the Bill, that from the date of order of maintenance made by the Tribunal, within three months, you have to file a complaint that this order is not being adhered to, so recovery initiative be taken. For the old-age parents, for senior citizens. It may be difficult, sometimes, because they will also be in a kind of dilemma situation whether they should write or make a complaint against their own children. I think, this debarring period of three months for recovery application that within three months they have to apply, should be deleted. As and when, they are in a position to make a complaint for recovery, it should be kept open.

Secondly, I would like to draw your attention to clause 6 (6) about conciliation. Again, I would like to suggest that please, don't keep this open for conciliation; otherwise; conciliation is a very good approach when it is between parents and children. But the thing is, in the present day enforcement machinery, in the present day standard of governance, it will be implemented by the district level governance or the sub-divisional level governance. The standards and quality of goverance as it is today, keeping the door open for conciliation, will tantamount to unnecessary delay and such kind of delay, even the Tribunal will be compelled to condemn and that delay will be fatal and punitive for the parents who are to get benefit out of this Bill. Once it comes to the Tribunal, let the Tribunal make an inquiry. That provison is there. On that basis, by hearing both the parties, the Tribunal can give its judgement. I think there should be non scope for conciliation.

The third point is, there is a provision in the Bill for senior citizens or the parents to make an appeal. After reading the Bill, I am not very sure whether the children are also entitled to appeal against the maintenance order. I think, in the present legal system, you just cannot deny the children to make an appeal against the order of the Tribunal.

If we do that, again there will be other encumbrances, which may make this law redundant. I think that guard is also required to be taken.

In that event, I would like to draw the attention of the hon. Minister that in case children appeal against the maintenance order passed by the Tribunal, that appeal should not put the maintenance order in abeyance. So, the maintenance order, once issued, has to be implemented, no matter even if the children are allowed to appeal against that order. On that ground, I think there are certain loopholes here, and those have to be taken care of. Sir, I did not move any amendment, but I request the hon. Minister to accommodate these concerns while framing the rule under this Bill.

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007, with the hope that it will give relief, at least, to some extent, to the 77 million elderly citizens of our country. Looking at the conditions prevailing in respect of the senior citizens of the country, we appreciate that the Government has come out with this Bill.

The present day youth of our society has been taught how to earn huge money, but they have not learnt how to live with love and sympathy. I think it is the fault of parents, who are bringing up their children with the sheer target of making them as an engineer, a doctor, or a superior official, but not with a minimum target of making them humanitarian persons. Such a situation prevails not only in our country but also even in developed countries.

Though a National Policy on Older Persons was framed in 1999 and a Plan of Action had been prepared, this has not been implemented till today. A considerable percentage of our

country's 77 million elderly continue to live with insecurity, injustice and abuse. Further the senior citizen population is expected to go up to 177 million in the next 25 years. Of this women will constitute 51 per cent.

Almost 30 per cent of our elderly people are subject to some form of abuse or neglect by their families. Ironically, in spite of this, only one in six of the abused elderly people report the injustice. Shockingly, 47.3 per cent of abuse against elders is committed by adult caregivers, partners or family members, while 48.7 per cent of all abuse cases imply neglect of an elderly person, abandonment, physical financial or emotional abuse.

According to a recent survey the problems of the elderly can be broadly categorised as economic, health, disability and social. The most prevalent health problems among the aged people are related to mental handicap, orthopaedic and ophthalmic problems. Loneliness, no source of income, and unemployment were also found to be widespread among those people who live in cities. In metros, lack of adjustment, no source of income, non-fulfilment of basic needs and chronic illness are the major problems.

Unemployment, unfulfilled basic needs and no source of income were universally prevalent among senior citizens in all rural and urban areas. At the same time, orthopaedic and ophthalmic problems are, in addition, very high among the elderly in all regions. Apart from the social and health problems, there is a threat for their safety and security. This situation exists mostly in the upper middle class and rich parents whose child may be working or settled abroad. They are often attacked by unknown culprits and the attackers' motive is mainly robbery.

Hence I request the Government that there should be a special cell in all city police stations to deal with security of senior citizens. It must coordinate, monitor and protect the old age people. The details of senior citizens, who are living alone, shold be kept at every police station, and the names and details of their servants also should be kept in the nearest police stations. I requst that this Government should instruct the State Governments to introduce this system in all the police stations. Neighbourhood watch schemes, patrolling by policemen, and wireless alarm systems should be introduced by the local police to prevent robbery and attacks against elderly people while they are alone.

I welcome the proposal of placing legal obligation through this Bill on children and relatives to maintain the senior citizen or parent in order to enable him to live a normal life. This obligation should apply to all the Indian citizens, including those living abroad. At the same time, I request the Government to take necessary steps for formation of old age home in every district in which sufficient medical facilities and maintenance should be provided to those people.

I would like to request the Government that awareness programmes should be created under this law at the district and township levels about the right of senior citizens to apply to the tribunal for a monthly allowance from their child when they are unable to maintain themselves on their own earnings or property. The tribunal, on its own, should initiate the process on complaint for maintenance without any disparity or delay. I request the Government to allocate sufficient fund support to State Governments to provide adequate monthly maintenance allowance to the old-aged people. The State and the Central Government should understand that the old-aged people were once the tax-payers of this Government. They were also once making their contribution for the growth of this country. Hence, this is the responsibility of the Central Government to provide proper maintenance to those people.

It is said that the punishment for not paying them the required monthly allowance shall be Rs. 5,000, or up to three months imprisonment, or, both. However, Government should also provide rights to the tribunal to order the concerned department of the State Government or Central Government to deduct a certain sum from the salary as maintenance allowance, and such deducted amount should be provided to the parents if they are abandoned by the employed child.

I feel that the formation of the tribunal under this law will be a source of hope to old parents in case of being harassed. I found in the Bill that the tribunal will hear out senior citizens' complaints of neglect, physical injury, mental cruelty, separation from families and their restoration against their children or others. I would like to urge the Government to provide that such newly formed tribunals should also hear complaints regarding non-availability of old-age pension, medical insurance, etc. the time-limit for disposal of complaints is 90 days. I would like to request the Government to reduce the maximum time-limit for disposal of complaints to 45 days, since 90 days is too long a period. Also, the tribunal should function at the district level and annexed with district courts.

Sir, on this occasion, I recollect the names of two leaders, our former Chief Minister, Dr. M.G. Ramachandran, who had introduced the old age pension scheme in Tamil Nadu; and our great and dynamic leader puratchithalaivi Amma, who had implemented it very well in Tamil Nadu.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री महोदया ने बिल पेश करते हुए संक्षेप में वृद्धावस्था में जो कठिनाई है, जो तकलीफ है, उसके बारे में चर्चा की कि किस प्रकार वृद्ध होने के बाद मनुष्य एक हाशिए पर चला जाता है, उसकी उपेक्षा होने लगती हैं, उसे परिवार में तिरस्कृत होना पड़ता है, घर से निकाल भी दिया जाता है। इन सब बातों की चर्चा माननीय मंत्री महोदया ने की है। उसी से संबंधित जो विधेयक इन्होंने सदन में पेश किया है, उस पर स्थायी समिति में विस्तार से चर्चा हुई है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों से, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनसे, वरिष्ठ नागरिकों की जो संस्थाएं हैं, उनसे तथा राज्य सरकारों और समाज के सभी क्षेत्रों की संस्थाओं एवं नागरिकों से इसकी चर्चा की है। उसके बाद विधेयक को सदन में उपस्थापित किया गया है। लोक सभा से यह पारित हो चुका है और यहां भी सब पार्टियों की ओर से इसका स्वागत हो रहा है।

मान्यवर, जब किसी दम्पत्ति को संतान पैदा होती है, उसके बाद से जो मेरा अनुभव है, वह अपने लिए नहीं जीता, उसके बाद से उसका जीवन संतान के लिए समर्पित हो जाता है। उसका पालन-पोषण, उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी वह अर्जन करता है अपने खून पसीने की कमाई से, सब उसी के लिए न्यौछावर कर देता है और एक दिन ऐसा समय आता है जब वह बूढ़ा हो जाता, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है एक तरह से परिवार के लिए किसी काम का नहीं रह जाता है, तो उसी के बेटे-बेटियां, उसी की संतान उसे छोड़ देते हैं; दर-दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका खाना-पीना, रहना, स्वास्थ्य सब कुछ या तो समाज पर निर्भर करता है या जो आश्रम हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उन पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार ने उनकी व्यथा को देखते हुए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, पिछले दिनों माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं तथा यहां सदन में उपस्थित हैं, उन्होंने पूरे देश के वृद्ध व्यक्तियों का बालयोगी सभागार में एक बड़ा समारोह किया था, मैं उस समारोह में गया था। उसके समारोह में बैठकर के अगर चारों तरफ दृष्टि डाली जाए, जैसा मैंने डाली थी, लगता था कि सभी प्रदेशों से आए हुए लोग अपने-अपने रंग में, अपने-अपने वस्त्र में, अपनी कला, अपनी संस्कृति में थे। उस समारोह में माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। अभी मैं माननीय रघुवंश प्रसाद जी से पूछ रहा था कि उस समारोह में पहले बी॰ पी॰ एल॰ फैमिली के 65 वर्ष तक की उम्र के वृद्धों को सौ रुपए की वृद्धावस्था पेंशन देते थे, जिसमें 75 रुपए भारत सरकार की ओर से और 25 रुपए राज्य सरकार की ओर से होते थे। उसमें एक शब्द लगा हुआ था

destitute मतलब निस्सहाय। उस समारोह के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उम्र 65 वर्ष तो रहेगी मगर राशि चार सौ रुपए होगी, जिसमें दो सौ रुपए भारत सरकार की ओर से और दो सौ रुपए राज्य सरकार की ओर से होंगे। यदि राज्य सरकार चाहे तो ज्यादा भी दे सकती है, उस पर कोई बंधन नहीं था और बी॰ पी॰ एल॰ फैमिली के सभी डेस्टीच्यूट ही नहीं 65 वर्ष से नीचे बी॰ पी॰ एल॰ फैमिली के सभी वृद्धों को नए रेट से पेंशन दी जाएगी, जिसमें दो सौ रुपये भारत सरकार की ओर से और दो सौ रुपये राज्य सरकार की ओर से हैं। इतना ही नहीं किसी भी ऐज की विधवा, जो बी॰पी॰एल॰ फैमिली की है और विकलांग को, इन सभी को पेंशन दिया जाएगा। महोदय, मैंने इसकी इसलिए चर्चा की कि वृद्धों की जो अवस्था है, स्थिति है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है और यह बिल भी उसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया है। महोदय, हमारी पहली सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और वह आज से नहीं परम्परागत रूप से हमारी संस्कृति रही है कि हम संयुक्त परिवार में गुजर-बसर करते आए हैं और संयुक्त परिवार में जब भी कोई बूढ़ा हो, बूढ़ी हो उनको तकलीफ होती थी तो पूरा परिवार उनकी देखभाल करता था। पर पता नहीं पश्चिमी संस्कृति का हमारे देश पर कैसा हमला हुआ कि हम तो अपनी संस्कृति ही भूल गए। हमारी अपने माता-पिता के प्रति जो जवाबदेही होती है, उसको हम भूल गए। सैकड़ों उदाहरण हैं सभी धर्मों में, न सिर्फ एक धर्म में सभी धर्मों में सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने किस प्रकार माता-पिता की सेवा की है। यहां राम की चर्चा हुई, श्रवण कुमार की चर्चा हुई, सिर्फ हिन्दू धर्म ही नहीं, दूसरे सभी धर्मों में इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। आज यह स्थिति बनी हुई है कि लोग बड़े पदों से रिटायर होते हैं, भारत सरकार के बड़े पदों से रिटायर होते हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पदों से रिटायर होते हैं और यहां दिल्ली में बड़े मकान में रहते हैं। वह अकेले रहते हैं, उनका बेटा जर्मनी में रहता है, बेटी अमेरिका में रहती है और वह लोग नौकर-चाकर के साथ रहते हैं। महोदय, आप भी अखबार में पढ़ते होंगे। ...(**समय की घंटी**)... किसी भी दिन नौकर की नीयत बदल जाती है। महोदय, मैं जो दर्द महसूस करता हूं, उसे बोल रहा हूं, क्योंकि आज जो बच्चा है कल को उसे बूढ़ा भी होना है, यह बात कहने की नहीं है। आज जो बच्चा है, वह कल को बूढ़ा होगा, जो जवान है, उसे जवानी में तो कुछ दिखायी नहीं पड़ता है अपने परिवार के सिवाय, मगर उसे भी यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उसे भी बूढ़ा होना है। उसके भी बाल-बच्चे उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे, जैसा कि हम आज अपने माता-पिता के साथ व्यवहार करते हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): भंडारी जी, आप कनक्लूड कीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, माता-पिता काफी सम्पत्ति जमा करते हैं, जो भी सम्पत्ति जमा करते हैं, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो, कुछ लोग तो कहते हैं कि बेईमानी करके भी अपने बेटे-बेटियों के लिए पैसा जमा करते हैं, ईमानदारी से तो लोग पैसा जमा करते ही हैं। होता क्या है? वह धन-सम्पत्ति उसके किसी काम की नहीं होती है। कई बेटे-बेटियां तो ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती उनसे कहते हैं कि सारी धन-सम्पत्ति हमारे नाम लिख दो। महोदय, अब इस बिल में बहुत अच्छा प्रावधान आया है कि ऐसे वृद्ध नातेदारों के भरण-पोषण की बाध्यता आरोपित करने का प्रस्ताव है और निर्धन व्यक्ति/व्यक्तियों का भरण-पोषण के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करने के लिए भी उपबंध करने का प्रस्ताव है। महोदय, जो माता-पिता की सम्पत्ति लेता है, उसकी जवाबदेही अगर वह खुद महसूस नहीं करता है, तो सरकार को अपनी जवाबदेही महसूस करानी चाहिए। इसके लिए जो भी कानून बनाना पड़े, उस कानून से, उसको बाध्य करना चाहिए कि तुम्हें अपने माता-पिता की रक्षा, भरण-पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, इस विषय पर जितना भी बोला जाये, वह कम होगा, क्योंकि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदया कह रही थीं कि धीरे-धीरे ऐज हमारी बढ़ रही है, उसी तरह से वृद्धों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए उनकी सुरक्षा, उनके भरण-पोषण, उनकी देखभाल की जवाबदेही उनके बेटे-बेटियों की है, जो उनकी सारी सम्पत्ति लेकर बैठ जाते हैं। इसके लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए कि वे उनकी देखभाल करें। गरीबों के लिए तो आश्रम बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री बलिहारी बाबू (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार सभा में बोल रहा हूं। मैं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर अपनी राय देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक, माता-पिता और गुरू — हम कह सकते हैं कि तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं - ब्रह्मा, विष्णु, महेश-सूरज, चांद, पृथ्वी-सर्दी, गर्मी, बरसात - सत्यम शिवम सुंदरम। इन तीन शब्दों पर तो बहुत बोला जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि

उनके द्वारा या उनके विभाग द्वारा यह विधेयक लाया गया है। यह दिमाग से लाया गया लगता है, इसमें दिल भी लगाया होगा, इनकी नीति सही होगी, इनकी नीयत सही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वहां पर तो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से अलाउ करना पड़ेगा। अभी हमारे माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं, कानून तो किताबों में ही सीमित रह जाता है। मान्यवर, उपदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, भाषण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी उपदेश समझना पहली बात होनी चाहिए, उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि उसको समझ ले, स्वीकार करे और उस पर आचरण करे। आचरण करने के बाद ही समझ लीजिए कि कोई बात पक्की होगी और समाज में कामयाब होगी। अगर हम आचरण नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निरर्थक होगा, व्यर्थ होगा। हमारा समय व्यर्थ में चला जाएगा, इसलिए यहां भी तीन चीजें हैं। पहली चीज़ है किसी चीज़ को समझना, दूसरा उसको स्वीकार करना है और तीसरी आचरण करने की बात है। कोई कानून किसी जिद्दी व्यक्ति को सज़ा दे सकता है, लेकिन यदि समाज ही जिद्दी हो जाए, तो कोई कानून क्या करेगा? इसलिए यह बहुत दुख की बात है कि ऐसा विध ेयक लाया जा रहा है। आज इसको देखकर, हमें तो आश्चर्य भी हो रहा है और अजूबा भी लग रहा है कि हम अपने माता-पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए कोई कानून बनाएं, तो हमारा पैदा होना ही निरर्थक हो गया। मान्यवर, यह जीवन से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। और जीवन के दो स्तम्भ होते हैं। एक तो शरीर है और शरीर के लिए भोजन है। हमारे पास मन और मस्तिष्क है और मस्तिष्क के लिए आनंददायक अनुभूति चाहिए। आनंददायक अनुभूति तब मिलती है, जब समाज में समता का भाव हो, भाई-चारे का भाव हो, स्वतंत्रता का भाव हो और लोगों को न्याय मिले। क्योंकि आज संसार जिस वजह से दुखी है, वह यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, यही दुख है। इस दुख का सिर्फ एक ही इलाज है, भाई-चारा और इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। भाई-चारा कैसे बने, हर व्यक्ति जब पैदा हो रहा है, तो वह असमान पैदा हो रहा है। कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा अमीर पैदा हो रहा है। कोई विद्वान पैदा हो रहा है, कोई मूर्ख पैदा हो रहा है, कम पढ़ा-लिखा पैदा हो रहा है, इसलिए यहां सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। क्या इस नियम को सही मान लिया जाए या नहीं माना जाए। कुछ लोग कहते हैं, हां। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, वे कहेंगे कि ठीक है कि पांचों अंगुली बराबर नहीं हैं। हमारे साथियों ने भी कुछ कहा है कि जो जीने लायक होगा, योग्य व्यक्ति होगा, वह जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जो ओछा रहेगा, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। मेरा यह कहना है कि जो धर्म होता है, वह समानता का उपदेशक होता है। समाज को उत्तम व्यक्ति नहीं बल्कि श्रेष्ठतम व्यक्ति की जरूरत है। यह तो संस्कार से बनता है। हमारे लोगों में संस्कार घर से पैदा होता है, परिवार से पैदा होता है, समाज से पैदा होता है और समाज को श्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि समाज में सही आचरण बनाने के लिए ऊपर से आकर कोई कानून नहीं बनाएंगे और न ही कानून बनाने से काम चलेगा। यह तो एक दूसरे से आचरण करने, व्यवहार करने और संस्कार बनाने से हम श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। गांव में समाज का एक दबाव होता है, खर्च करने वाला कौन हैं, कंजूस कौन है, चरित्रहीन कौन है, चरित्रवान कौन है, यह सभी लोग जानते हैं। एक व्यक्ति नंगा चल सकता है, लेकिन समाज के डर से वह सही रास्ते पर चलता है। इसलिए महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि आपका विधेयक तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी है, जिस पर हम लोग सच नहीं बोल पाते। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने सीनियर साथियों से, सीनियर सदस्यों से नमस्कार करता हूं, तो कोई जल्दी जवाब नहीं देता है। ऐसा लगता है कि वे बहुत बिजी हैं। सैंट्रल हॉल में बैठे सांसदों को यह मालूम होना चाहिए कि यहां बैठा आदमी संसद सदस्य है। मैं यहां पर पहली बार आया हूं। मैं भी बनाने वाला था, लेकिन संयोग से बन गया, बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला छोटा हो गया। मैं समझता हूं कि हम लोग विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन आज हम लोग स्वार्थ से जुड़ गए हैं। हम लोग विचारों से नहीं, बल्कि स्वार्थ से जुड़ गए हैं, इसलिए हमें यह दुख है। जहां स्वार्थ रहेगा, जो ज्यादा स्वार्थी होगा, वही सबसे ज्यादा - एक वह दिन आता है, जहां नाम लिया जाता है; वही समझिए है, चाहे वह किसी भी बिरादरी या धर्म का है। इसलिए मान्यवर प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह अमेरिका का हो या इंडिया का हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसे इन पांच मूल आवश्यकताओं की जरूरत है। इसमें शिक्षा की बात आई है, स्वास्थ्य की बात आई है और हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं। ये जरूरी चीजें हैं, इनके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। यह बड़ी खुशी की बात है और हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं समझता हूं कि यह व्यवहार संस्कार बनाने का है तथा और ट्रेनिंग देने की जरूरत है।

हमारे जो माननीय सदस्य यहां है, यहाँ से एक संदेश जाता है। व्यक्ति कुछ करता नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, वह मैसेज जाता है। हर व्यक्ति चला जाएगा, कुर्सी पर बैठेगा, तो उसका मैसेज चला जाता है। इसलिए यह संस्कार बनानें की जरूरत है। बहुत अच्छा है। आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें मौका दिया और मैंने भी कुछ कोशिश की और बोलने के लिए साहस किया। धन्यवाद।

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस आवश्यक समस्या पर कानून का माध्यम लेकर समाज का ध्यान खींचा। लेकिन इस समय मुझे याद आता है, जब हम छोटे थे और अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने एक इतिहासकार से पूछा कि हम तो चाहते हैं कि इंडिया हमेशा हमारे साम्राज्य में रहे, लेकिन यह मि॰ गाँधी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, हम कैसे हिन्दुस्तान को अपने साम्राज्य में रख सकें? इतिहासकार ने कहा कि एक ही तरीका है कि हिन्दुस्तानी कभी न जानें कि हम कौन हैं और अगर वे अपने आपको भूल गए, तो गुलाम बना सकते हैं। पर अब गाँधी ने सबको जाग्रत करके कि हम कौन हैं, इसका भान कराया, इसलिए अब हिन्दुस्तान गुलाम नहीं बन सकता है। आज फिर हमें अपने कुल समाज को याद दिलाना होगा कि हम कौन हैं, हमारी क्या संस्कृति रही है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, हमें सिखाया गया था। इस्लाम ने कहा है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। लेकिन आज ऐसा कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई, यह हमारे लिए अपनी हार और चर्चिल की जीत माना जा सकता है। इस वक्त इस कानून की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ एक awareness campaign, लोगों में वातावरण निर्मिति का काम चलाना चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री महोदया का ध्यान खींचना चाहती हूं कि कुल समाज को इसके लिए जाग्रत किया जाए कि हमारा कर्त्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और आज तक हमारे देश ने क्या-क्या किया है। शिक्षा इसका सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा के बारे में तो बहुत से साथियों ने कहा है, मैं इतनी बात कहना चाहती हूं कि एक बार हमारे परिवार में मेरी भाभी ने कहा कि उनकी लड़की आई और कहा कि माँ, मैं तुम्हारे पैर दबाऊँ, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा कि आज तुम्हें क्या हो गया। उसने कहा कि स्कूल में हमने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी है। घर आकर ही उसे लगा कि माँ के लिए कुछ करना चाहिए। हम शिक्षा के माध्यम से ऐसा वातावरण क्यों न बनाएँ कि हर किसी को अपने माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व का बोध हो। यह पहला काम जरूरी है — शिक्षा की तरफ ध्यान देना। इसी के साथ, कुल समाज में वातावरण निर्मिति के लिए ऐसे अभियान, ऐसे campaigns चलाने की जरूरत है, जिससे समाज को यह बोध हो कि आखिर हमारा कर्त्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, इस प्रकार के वातावरण निर्मिति के बिना केवल कानून से काम नहीं बनेगा। हमारी सहयोगी संस्था दिल्ली में एक बहुत अच्छा ओल्ड एज होम चला रही है। मैं एक दु:खदायी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक महिला से मैंने सहज पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, तो किसी ने इशारा किया कि इनसे मत पूछिए, क्योंकि इनके बेटे के पास 14 कमरे वाली आलीशान कोठी है, लेकिन उसमें माँ के लिए जगह नहीं है। इसी के साथ, जो बीमार पड़ते हैं, तो उनके अच्छे सम्पन्न बच्चे, पुत्र या पुत्री कहते हैं कि आप ओल्ड ऐज होम वाले ही उनका इन्तजाम कीजिए और आगे बढ़ कर जब मृत्यु हो जाती है, तब कहते हैं कि आप ही अन्तिम संस्कार कीजिए, हम पैसे भले ही दे देंगे। कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। लेकिन यह जो मानसिकता है, यह समाज अस्वस्थ है, इसकी निशानी है। समाज को स्वस्थ बनाने के लिए इस मानसिकता में परिवर्तन लाकर माता-पिता और वृद्धों का सम्मान करने की हमारी जो परम्परा रही है, इस परम्परा की तरफ सबको जाग्रत करने के लिए ऐसे अभियान, ऐसे campaigns जरूर चलाए जाएँ, तभी यह बिल सार्थक होगा। नमस्कार। जय जगत।

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव (नाम-निर्देशित): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वृद्धों की समस्या है, माता-पिताओं की समस्या है। इस सदन में मेरी उपस्थिति या मेरा वजूद केवल इसीलिए है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 2013 तक वृद्धों की संख्या 10 करोड़ होने वाली है और 2030 तक 20 करोड़ होने वाली है। वृद्धों की इतनी बड़ी संख्या और आने वाले समय में उनकी समस्याओं को ध्यान में रख कर निश्चित तौर से समाज और सरकार का चिंतित होना आवश्यक भी है। शायद उसी के तहत यह बिल सरकार ने लोक सभा में पास करवाया और अब यहां भी इस पर चर्चा हो रही हैं। मेरे हिसाब से वृद्धों की इतनी बड़ी संख्या एक ऐसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, परन्तु परिस्थितियां बदल गई हैं, हमारी सोच बदल गई है, मानसिकता बदल गई है। इसके चलते आज हम वृद्धों को भार समझ रहे हैं और कैसे उनको नियोजित किया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए, इस ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं।

इसके कारण क्या हैं, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। एक कारण तो है, शिक्षा का अभाव, दूसरा टीवी, तीसरा आए दिन होने वाले प्रचार, फिर सिंगल फैमिली के प्रति प्रेम और परिवार का बिखरता जाना। विदेशों में तो अब

यह सिलसिला चल पड़ा है कि दादा-दादी को किराये पर लाकर बच्चों को यह एहसास करवाते हैं कि ये तुम्हारे दादा-दादी हैं, लेकिन हमारे यहां पर दादा-दादी होते हुए भी हम उन्हें घर से निकालने की बात करते हैं और इसी के चलते यह विधेयक लाया गया है।

श्रीमन्, चूंकि मैं उस स्थायी समिति का सदस्य भी हूं, जिसमें बहुत गहराई से इस पर चर्चा हुई थी, चिंतन हुआ था, विचार हुआ था। उस समय जो कुछ सिफारिशें की गई थीं, मंत्री महोदया ने फरमाया कि उनमें से मुख्य सिफारिशों को शायद इसमें ले लिया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें लिया नहीं गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें विधिक कार्यवाही ज्यादा है, लेकिन वृद्धों का कल्याण गौण हो गया है। जब मैं कल्याण के दृष्टिकोण से इस पर विचार करता हूं तो देखता हूं कि वृद्धाश्रम की कल्पना इसमें की गई है। जैसा कि अभी निर्मला जी ने बताया कि वृद्धाश्रम की कल्पना ही अपने आप में एक ऐसी कल्पना है, जो बच्चे को इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि मां-बाप को वहां भेजा जाए।

महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान में गाय को पूजा जाता था। कोई भी उसे घर से बाहर छोड़ता नहीं था। अगर कोई छोड़ता था तो उसे कहा जाता था कि तुमने अपनी मां को क्यों छोड़ दिया? एक बार वहां पर अकाल पड़ा और सरकार ने कैटल कैम्प लगाए। गायों को कैटल कैम्प में इकट्ठा किया गया और मेरे जैसे आदमियों ने, सरपंच ने या गांव के प्रबुद्ध लोगों ने भी अपनी गाय को कैटल कैम्प में जा करके जमा करवा दिया। गांव के जो गरीब थे, जब उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने भी अपनी गाय को जमा करवा दिया, चौधरी साहब ने भी जमा करवा दिया, सरपंच साहब ने भी करवा दिया तो मैं भी अपनी गाय को जा करके वहां डाल दूं। आज हालत यह है कि हर गांव में गौशाला है, फिर भी सड़कें गायों से भरी पड़ी हैं। आज गाय को झेलने वाला कोई नहीं है।

अगर हमने वृद्धाश्रम को डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली प्रोत्साहित किया तो अभी जो संख्या मैंने बताई है, उसे देखते हुए, आने वाले समय में अगर आप किसी जिले में दस-दस या बीस-बीस सैंटर भी खोल देंगे, तब भी वृद्धों की केयर होने वाली नहीं है। उसके लिए आवश्यकता यह है कि हम अपने बच्चों और परिवार में ही उन्हें रखें।

मैं पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम करता हूं। हालांकि मैं वृद्धाश्रम नहीं चलाता हूं, लेकिन वृद्धों की केयर का काम करता हूं। आज उनके स्वास्थ्य की देख-रेख की जरूरत है। शहर की बात अलग है, लेकिन गांव का जो वृद्ध है, उसका बच्चा मिट्टी डालता है, पत्थर डालता है, रेत डालता है या छोटा-मोटा काम करता है। उसे पता नहीं है कि मेरे बाप को क्या जैनेटिक बीमारी हो गई है या क्या प्रोस्ट्रेट हो गया। वह उनके लिए दवाई लाता है, फिर कहता है कि अब तो यह बुढ़ापा है, तो यह आपको भुगतना ही है, पापा जी, अब आप यहीं बैठे रहो और पापा जी बैठे-बैठे रोते रहते हैं। ऐसे लोगों की केयर के लिए आपने इसमें क्या प्रावधान किया है? हालांकि इसमें स्वास्थ्य का प्रावधान है, परन्तु मैडम, आपने जो स्वास्थ्य का प्रावधान किया है, उसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि आपके लिए शफाखाने में एक लाइन होगी और जिस समय आप वहां जाएंगे तो ऐसा होगा, कहा जाएगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया।

अरे भई, लाइन तो अलग नहीं होगी? तो क्या हुआ, आपका आ जाएगा, लाइन अलग होगी। उनके लिए बेड्स रिजर्व नहीं होंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, 4 जो रखे हैं। मैंने समिति में भी कहा था कि इससे कोई हल नहीं निकलता। इससे कोई चीज ऐसी नहीं उठती, जिससे उसका समाधान हो। आप उसको मैनडेटरी कीजिए। मेरा सबसे बड़ा सुझाव जो था, उसको बिल्कुल नकारा गया। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह गरीब आदमी जिसको खाने को रोटी नहीं है, वह अपने बाप मां की सेवा या बीमार की इलाज नहीं करा सकता। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए सामूहिक हैल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए। जो वृद्ध हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए यह व्यवस्था की जाए। चार दिनों पहले एक मंत्री जी ने कहा था कि हमने बी॰पी॰एल॰ लोगों के लिए 30 हजार रुपए तक की एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मंत्रालय में— इस रिपोर्ट में स्थायी समिति ने आपसे निवेदन किया है कि आप इसको लागू कीजिए। उसे लागू करेंगे। इसमें 80 परसेंट ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Conclude please.

डा. नारायण सिंह मानकलाव: प्लीज सर, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं। मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, take two more minutes.

डा. नारायण सिंह मानकलाव: मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं। मैं तो कम ही बोलता हूं।

सर, इसमें 80 परसेंट आप दीजिए और 20 परसेंट सरकार दे या चाहे कोई और दे। उन वृद्धों के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था कीजिए, ताकि बीमार होने की स्थिति में वे अपना इलाज करा सकें। आज कोई भी इलाज बिना पैसे के नहीं होता। लाइन में खड़ा होने से इलाज नहीं होता या रिसर्च करने से इलाज नहीं होता। उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा उस गरीब बच्चे के पास है नहीं। वह चाहता है कि मेरे बाप का इलाज हो, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसे कहां जाना है। ऐसी स्थिति में उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था हो। आप उसे 25 हजार कर दीजिए, 30 हजार भी कर दीजिए, जितना हो सके कर दीजिए। अब तो इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी आ गई हैं, तो कम पैसे में भी इंश्योरेंस हो सकता है। इसलिए, अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस की बात को स्वीकार करेंगे, तो बड़ी कृपा होगी तथा इससे बहुत ही बड़ा हित होने वाला है।

आपने वृद्धाश्रम के लिए कहा है। जैसा बताया गया कि उसमें भी न तो किसी योजना का खुलासा है और न ही कोई राशि या बजट का प्रावधान है। स्टेट खोलेगी, हर जिले में एक होगा। बहुत अच्छा है, लेकिन यह कैसे होगा, कौन पैसे देगा इस बिल में? स्थायी समिति में भी यह फैसला हुआ था कि इसके लिए कोई-न-काई निमित्त किया जाए, उसको जिम्मेवार बनाया जाए, लेकिन वह इसमें नहीं है। अगर उसके चलते वृद्धाश्रम की व्यवस्था जरूरतमंद लोगों को करना भी पड़ेगा, तो उसमें उसका कुछ होना-जाना नहीं है।

महोदय, अंत में मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि यह विधेयक निश्चित तौर से उन लोगों के केयर करने के लिए अच्छा है। परन्तु वृद्ध आदमियों के स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं ...**समय की घंटी**... उनके भरण-पोषण की जो समस्याएं हैं, उनको हल किया जाए और जैसा निर्मला जी ने कहा कि प्रचार-प्रसार और एक वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि हम यहां बैठे हुए जो काफी वृद्ध लोग हैं, वे यह नहीं सोचें कि हमको भी किसी वृद्धाश्रम में जाना है। आप सब भी तैयार हो जाइए वृद्धाश्रम जाने के लिए, अगर आपने यह बिल पास किया, तो उस वृद्धाश्रम में आपका भी नाम रजिस्टर्ड होने वाला है ...**(व्यवधान)**... एडवांस में वहां नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि आपको भी, मैडम को और हम सब को वहीं जाना है ...**(व्यवधान)**... इसलिए आप ध्यान रखें। आप और हम सब उसी कड़ी में हैं। धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, श्री ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी और श्री तरलोचन सिंह जी ने जो भाषण किया, उसमें उन्होंने जो विचार दिए, वे दोनों एक-दूसरे के विपरीत थे। लेकिन मैं विपरीत में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह कानून लागू होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा न हो कि किसी कारण यह सुप्रीम कोर्ट में जाए और पूरा स्ट्रक डाउन हो जाए, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को एक सजेशन देना चाहता हूं।

इस बिल का जो प्रोविजो 16(1) सेक्शन है, उसमें अपील का अधिकार है। इसको नोट कर लिया जाए, हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हो गया हो। उसमें अपील करने का अधिकार दोनों को होना चाहिए, लेकिन आपने लिखा है-

> Section 16(1) says, "Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parents the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal."

सर, में लिखा है कि अपील केवल हमारे सीनियर सिटिजंस जो हैं वे करेंगे।

ऐसा नहीं है, उन को भी देना चाहिए। यह जिस आदमी के खिलाफ होता है, उस को भी अपील का पैसा देना चाहिए।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तरलोचन सिंह जी ने भाषण दिया कि A Soloman virtue is not present in the society, but vices may be included. That is why, the law is there. सर, आई॰पी॰सी॰ सेक्शन हम लोगों के लिए नहीं बनी है, शरीफ लोगों के लिए नहीं बनी है, कानून के मानने वाले लागों के लिए नहीं बनी है। मेरे ख्याल से एक परसेंट आदमी भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जोकि गैर-कानूनी काम करते हैं, डकैती करते हैं। महोदय, यह कानून केवल आज नहीं बना है, इस के बारे में सर्वेक्षण हुआ है। अभी मंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस बारे में सर्वेक्षण हुआ है, वह समिति में गया है, वहां पूरी तरह से विचार-विमर्श हुआ है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि इस

4.00 P.M.

में उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी कानून है। इस बिल में सब से बड़ी बात यह है कि इस के लिए ट्रिब्युनल बनाई गई है और उस से भी खूबसूरत बात इस में यह है कि सिविल कोर्ट को कोई jurisdiction नहीं दिया गया है और कहा गया है कि उस में सिविल कोर्ट का कोई jurisdiction नहीं होगा। अगर अपील करेंगे तो payment करना ही होगा।

सर, आप ने मुझे दो मिनट का समय दिया, वह खत्म हुआ। धन्यवाद, प्रणाम।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Malaisamy. You may please stick to the time of two minutes.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, as a senior citizen, am I entitled for anything more? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, this is the other way round. Senior citizens have to pay less in their airline tickets, so, he will get less time. I don't want to burden you by giving you more time. So, take only two minutes.

DR. K. MALAISAMY: I assure you, Mr. Vice-Chairman, Sir, that I will abide by your order. At the outset, I hasten to wholeheartedly welcome and support the Bill, which is very timely. It is the felt need of the hour, particularly, when the age-old tradition and family culture is waning and declining; thanks to the invasion of foreign culture on our culture. Sir, the value system is vanishing. Our ethics are eroding, and this is the situation in which it has rightly come to protect the parents and senior citizens. I am not going to dilate in detail because you have given only two minutes. I will, certainly, abide by the time. I could go through the Bill in a cursory and hasty way, and I was able to see that it is well drafted and it has come out well. But, at the same time, I have got some innate clarifications to seek from the hon. Minister. Clause 2(b) has defined what is meant by "maintenance". "Maintenance includes provision of food, clothing, residence, medical attendance and treatment." This is known as maintenance. As far as I could see, this is the definition which is given. But it looks as if there is a controversy in the body of the Bill.

I now come to clauses 4(2) and 4(3) of the Bill. Clause 4(2) says, "The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the needs of such citizen so that senior citizen may lead a normal life." When we speak about maintenance, it has been defined. Whereas, when we come to the later part, it is said, "...lead a normal life." For leading a normal life, mere maintenance won't do. That is my point.

Secondly, tribunal has been defined in clauses 7(2) and 9(3). It looks as if the Tribunal has got a discretion to do something more than that. I would like to know from the hon. Minister whether you mean maintenance alone or the welfare of the parents also. If you mean welfare also, then, it needs an amendment. It needs an inclusion. This is the first controversy I could see.

The second controversy which I could see is this. Whether it is a controversy or a correlation, she has to clarify that. the CrPC also envisages and contemplates what is meant by maintenance. the parent can claim maintenance under the CrPC also. The Bill also speaks about maintenance. I would like to know whether this Bill is an extension, or, this Bill is an improvement. If that be the case, what is the special feature or the improvement you have done over an above the Cr. P.C. which is contemplated? *(Time-bell).*

Sir, my last point is this. Coming to Shri Gnanadesikan, he was mentioning about the executing authority, the Tribunal or the Appellate Tribunal; the Sub-Divisional Officer or the District Magistrate. He has expressed some reservation as to whether the District Magistrate can afford to give full thought over this. According to me, it is a matter relating to income, property, land details, this, that, etc. It is the prerogative of the Revenue Department alone. The alone can do this kind of a job. It is their lookout how to manage the priority. (*Time-bell*) The Sub-Divisional Officer and the District magistrate should continue ..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have made your point.

DR. K. MALAISAMY: Thank you. Sir.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदया को इस बिल के लिए बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीसवीं अनुसूची में जो मेडिकल केयर की चर्चा की गई है, इसमें स्पेसिफिक रूप से जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जैसे आंखों की बीमारी, विशेषकर केट्रेक्ट, लघु शंका की बीमारी प्रोस्ट्रेट, घुटनों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी, बुढ़ापे में निश्चित रूप से इनका फ्री इलाज कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा निवेदन मेरा यह है कि चाहे कितने बड़े या अमीर आदमी के यहां जो बूढ़े मां-बाप होते हैं, उनको भी ऐसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और जिसमें एक वाल्व का 80 हजार रुपए, दो वाल्व का 1 लाख 30 हजार रुपए, एंजियोप्लास्टी अगर होगी तो 80 हजार रुपए और बाइपास सर्जरी होगी तो 60 हजार रुपए देना होता है, क्या मंत्री महोदया इस मेडिकल फेसिलिटीज में वृद्धों को होने वाली ऐसी गंभीर बीमारी का ईलाज मुफ्त कराने की व्यवस्था करेंगी?

महोदय, एक बात और कहूंगा कि क्या यह संभव है कि आप इस पर विचार करें कि जो देश में आज हेल्थ मिशन का जाल बिछ गया है, उसमें 60 वर्ष के बड़े, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका मेडिकल कार्ड बनाया जा सकता है? इसकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उन वृद्धजनों की क्या बीमारी है, निश्चित रूप से वह ध्यान में आ जाए और उसके उपचार की व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Chaturvediji. You have made a good suggestion.

श्रीमती मीरा कुमार: आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल पर हुई चर्चा में 14 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें डा॰ पिलानिया जी, ज्ञानादिशिखन जी, नन्द किशोर यादव जी, एकनाथ ठाकुर जी, तरलोचन सिंह जी, तपन कुमार सेन जी, पेरुमल जी, प्रो॰ राम देव भंडारी जी, बलिहारी बाबू जी, कुमारी निर्मला देशपांडे जी, नारायण सिंह मानकलाव जी, मलयसामी जी और चतुर्वेदी जी हैं और इन सभी ने इस विधेयक की आत्मा का, इसकी नियत का समर्थन किया है। आप सब की बात सुनकर जो मैंने समझा, वह यह कि हमारे देश में हम जिस संस्कृति और जिस धरोहर को लेकर के चल रहे हैं, उस देश में यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमें ऐसा विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ रही है। इस विडम्बना से मैंने सभी सांसदों को मर्माहत पाया, मैं भी हूं, लेकिन यह समय की आवश्यकता है। इसलिए, हमें यह विधेयक लाना पड़ा है। एक चिंता है कि जो हमारे वृद्धजन हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे माता-पिता, जो कि अभी वृद्ध नहीं हुए हैं, 60 वर्ष से ऊपर के नहीं हैं, प्रोढ़ हैं, लेकिन निस्सहाय हैं, हमें उनका भरण-पोषण समुचित ढंग से करना चाहिए, हमें उनको पूरा आदर-सम्मान देना चाहिए। 'संप्रग' सरकार की यह चिंता है, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की, हमारे प्रधान मंत्री डा॰ मनमोहन सिंह जी की यह चिंता है और उसी चिंता के अधीन यह विधेयक आया है।

आप सबने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। हमने अपनी तरफ से व्यापक, देशव्यापी और गहन विचार-विमर्श करके जितने भी संबंधित समूह हैं, वर्ग हैं, लोग हैं, उन सबसे विचार-विमर्श करके इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। स्थायी समिति ने भी उसे बहुत गहराई से जांचा-परखा, अपनी अनुशंसा की, जो भी उसमें संभव था, उसे इस विधेयक में सम्मिलित किया गया।

मैंने आपके सब सुझावों को लिख लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। हमने हर जिले में अधिकरण, ट्राइब्यूनल बनाने की पेशकश की है, प्रावधान किया है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि जितनी सेवाएं हैं, कार्य हैं, गतिविधियां हैं, सब बड़े-बड़े शहरों में ही केन्द्रित हो जाती हैं। हम देश के हर कोने में पहुंच जाएं, जिले में पहुंच जाएं और उन जिलों से भी आगे पहुंच जाएं, इसलिए हमने अनुमंडल अधिकारी को इस अधिकरण का अध्यक्ष बनाया और एक जिले में एक से अधिक अधिकरण भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अनुमंडल अधिकारी स्वयं ही उसका अध्यक्ष बने, उसके स्तर का कोई भी अधिकारी इसका अध्यक्ष बन सकता है। हमने सोचा है कि अपने वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा देने का एक बहुत बड़ा जाल हम पूरे देश में बिछाएं। हम इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हैं कि हम परिवार के बीच में जा रहे हैं, हम दो पीढ़ियों के बीच में जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जाने से वहां तनाव और बढ़ जाए। मैं जानती हूं कि CRPC में 125 एक धारा है, लेकिन जब हम मुकदमा लड़ने जाते हैं तो वर्षों लग जाते हैं।

पिता का किया हुआ मुकदमा पुत्र लड़ता है और कभी-कभी तो प्रपोत्र भी लड़ता है तथा इसमें कितना खर्चा आता है, यह कहने की बात नहीं है। वृद्धजन, जो अपने जीवन की संध्या वेला में हैं, उनके पास अपार अनुभव है, ज्ञान का भंडार है, वह सब हमारे लिए अमूल्य निधि हैं, लेकिन उनके पास दो चीजों की बहुत कमी है उनके पास समय है, न उनके पास साधन है, वे मुकदमा कैसे लड़ेंगे? इसलिए हमने यह कोशिश की है कि इन अधिकरणों में सुलह अधिकारी हों, जो माता-पिता और बच्चों के बीच में सुलह कराने का प्रयास करें और जितना हो सके, उनको हम तनाव से मुक्त रखें, यह हमारी कोशिश है। अगर इसके बावजूद भी जो हमारे माता-पिता, वृद्धजन और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो फिर बच्चों पर यहां penal provision भी हैं और उन्हें 3 महीने की जेल भी हो सकती है। यह इसलिए है कि आज भी समाज में कोई यह नहीं चाहेगा कि उस पर यह कलंक लगे कि वह अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर रहा है। घर के अंदर भले ही वह उनको कितनी ही यंत्रणा दे, कितनी ही यातना पहुंचाए, लेकिन बाहर समाज में वह साफ-सुथरा बनकर रहना चाहता है कि वह अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है इसलिए तीन महीने की जेल भी कोई नहीं जाना चाहेगा। इसलिए इसे एक deterrent के रूप में हमने रखा है। बच्चों को अपील का अधिकार हमने जान-बूझकर नहीं दिया है, क्यों कि बच्चे तो हर तरह से सक्षम हैं, उनके पास तो अधिकार ही अधिकार हैं, उनके पास तो साधन ही साधन हैं। इसलिए अगर हम उन्हें अपील का अधिकार दे देंगे, तो कानून की जो यह प्रक्रिया है, जिसको हम समाप्त करना चाह रहे हैं, वह और भी जटिल, और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि हम इसको इससे मुक्त रखें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति और परंपरा में कहीं भी वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है। गरीब से गरीब परिवार जो है, प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां आप पढ़ लीजिए, शरतचन्द्र की जितनी भी कहानियां आप पढ़ लीजिए, वहां गरीब से गरीब परिवार में भी अगर उनके पास खाने के लिए सिर्फ दो रोटियां हैं, तो उनमें से एक रोटी उनके माता-पिता के लिए जरूर होती है। वृद्धाश्रम में भेजने की परंपरा यहां कभी नहीं रही, मगर इस सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में हम इस परंपरा को शुरू भी कर रहे हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके प्रति हम सभी हृदय में उद्विग्न हैं, लेकिन यह समय की मांग है। फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक, अपने घरों में ही रहें और उनके बच्चे ही उनकी देखभाल करें।

विदेश के, पाश्चात्य देशों के कुछ उदाहरण दिए गए थे कि वहां बहुत सुविधा है, कितनी भी सुविधाजनक और कितना भी सुंदर वृद्धाश्रम क्यों न हो, लेकिन वृद्धजन, माता-पिता अपने बच्चों के साथ, अपने पोता-पोती, नाती-नातिन के साथ ही रहना पसंद करते हैं, यह हमारा रहन-सहन है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा वृद्धाश्रम बनें, हम चाहते हैं कि बच्चे ही अपने घर में अपने माता-पिता को रखें। ऐसे भी वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनको संतान नहीं है या संतान विदेश चली गई है या कोई और कारण से वे नितांत असहाय हैं, एकाकी हैं और गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था है।

निधि की बात हुई। मेरा मंत्रालय कई वर्षों से अनेक ऐसे कार्यक्रम, ऐसी स्कीमें, वृद्धाश्रम चलाने की, वृद्धाश्रम के निर्माण और स्थापना के लिए चला रहा है। इस विधेयक के अंतर्गत जब राज्य सरकार से मिल करके इसके नियम बनेंगे, इसमें बारीकी से इसके साथ और स्कीम्स् बनेंगी, तब हम उन सब पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश होगी, कोशिश ही नहीं, यह तो हमारा इसमें संकल्प है कि हर जिले में 150 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं और नितांत निस्सहाय हैं, उनको हम वहां रखेंगे। यह तो प्रथम चरण में हम करेंगे, इसके बाद हम और भी वृद्धाश्रम वहा खोलेंगे।

शिक्षा की बात हुई, मैं यह मानती हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो युवा हैं, उनके मन में हमें संस्कार देने हैं कि कैसे श्रवण कुमार थे, कैसे राम थे और कैसे इस्लाम में माना जाता है कि मां के कदमों में जन्नत होती है, यह संस्कार देने की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों पीढ़ियों को आपस में कैसे मिला कर रखें, यह बहुत आवश्यक है।

मुझसे मलयसामी जी ने कहा कि क्या यह अधिकरण की स्थापना सिर्फ मेंटेनेन्स के लिए है या कल्याण के लिए भी है? अधिकरण की स्थापना सिर्फ भरण-पोषण के लिए है, लेकिन इस विधेयक में स्वास्थ्य संबंधी, रक्षा संबंधी, इत्यादि कल्याण को लेकर भी अनेक प्रावधान हैं और यह सीआरपीसी के 125 धारा का एक्सटेंशन नहीं है, यह अपने आप में एक नया विधेयक है।

मैं सभी सम्माननीय सांसदों को यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके सभी सुझाव मेरे पास हैं और जब हम इसकी नियमावली बनाएंगे और इसके अंतर्गत जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम बनेंगे, उनमें हम यथासंभव उन सबको सम्मिलित करेंगे।

अंत में, मैं जो हमारे वृद्धजन हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, पूरे सदन की जो भावना है, उसके संदर्भ में मैं उनके सम्मान में यही कहना चाहती हूं, अपने वरिष्ठ नागरिकों, जो हमारे जनक और हमारी जननी है, उनके सम्मान में यह कहना चाहती हूं कि आपने जो देश की, समाज की जो सेवा की है, उसके लिए जो त्याग किया है, उसके लिए हम सभी आपके अनुगृहीत हैं। हमारे जो माता-पिता, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन-पोषण किया, हमें जो मूल्य दिए, हमें जो संस्कार दिए, हमारे अंदर जो भी शुभ है, शिव है, वह सब जो हमें दिया, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। उनका जो विपुल भंडार है ज्ञान का, अनुभव का, वह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है, इसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और अंत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसके साथ मैं उनको शुभकामना देना चाहती हूं और वह है —

"पश्येम शरद: शतम्"
यानी हम सौ वर्षों तक देखें, सौ शरद ऋतुओं तक देख सकें।
"जीवेम शरद: शतम्"
यानी हम सौ शरद ऋतुओं तक जिएं।
"श्रुणुयाम् शरद: शतम्"
यानी हम सौ शरद ऋतुओं तक सुनें।
"प्रब्रवाम शरद: शतम्"
यानी हम सौ शरद ऋतुओं तक बोल सकें।
"अदीनाम स्याम शरद: शतम्"

और हम इन सौ शरद ऋतुओं तक दीन-हीन होकर नहीं, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ जिएं और अंत में कहते हैं कि सौ शरद ऋतुओं तक इस प्रकार जीने के बाद हम और एक सौ शरद ऋतुओं तक फिर से जिएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, the question is:

> That the Bill to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognised under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2—32 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): Sir, will my subject be taken up?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes. Actually, yesterday the discussion on situation arising out of the misuse of funds provided by the Central Government under the National Rural Employment Guarantee Programme, raised by Shri V. Narayanasamy, was not concluded. So, that will be taken up first. But, I request all the speakers on this subject to be very brief because the next Short Duration Discussion has to be taken up. Now, before I call Mr. Gill, I want the Minister to lay a statement on the Table.

Statements by Ministers—*Contd.*

STATUS OF IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE TWENTY-EIGHTH REPORT OF PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation Arising out of Misuse of Funds provided by the Central Government under National Rural Employment Guarantee Programme

DR. M.S. GILL (Punjab): Thank you, Mr. Vice-Chairman. I want to thank Mr. Narayanasamy for somehow managing to, not on a Friday, but on a Thursday, raise a discussion on perhaps the most important project of this UPA Government which is the rural employment programme which Mrs. Gandhi, the UPA Chairperson, the Prime Minister and many others, I suppose, have pushed hard to try, and, somehow, get it down to rural India, to ground India and to poor India. It has been running. I think, for a number of years now and something like, may be, Rs. 30,000 crores or more or whatever have been spent on it; I am guessing this. I also see that a decision has been taken to implement it from 200 districts to 600 districts, which means really the whole India; maybe a few districts will be left out; I can't say. Therefore, there is a determination to move forward and to expand it to a section of people which needs tremendous help. Arjun Sengupta's Report, has, I think, highlighted the whole situation even more dramatically. Eighty-six per cent or whatever of people with twenty rupees or less. And, that is the area which is linked to this scheme also and endeavour to try and do something for them. And, therefore, I think, Mr. Narayanasamy's success in bringing this forward has to be commended because you need to discuss and assess where have you got. I have been, over the last couple of years, hearing a very able Minister of Rural Development, our friend from Bihar, and whenever he takes over, I don't think anybody is really able to beat him up on his assertion that the programme is doing tremendously well and there are great achievements in it. I have certainly heard it that way. But, while that may be true, partly or wholly, an assessment, a critical assessment, by this country, by this Parliament, is necessary. And, therefore, I look at what has come up today. Now, I heard Mr. Narayanasamy and